

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

15/11/19

वकील वादी उपर वकील वादी को प्रतिवादीगण की तमकी हेतु तमबाना पेश कले हेतु अमेक अपसर दिये गये। वकील वादी को दि० 7/2/11, 11/4/11, को तमकी हेतु तमबाना पेश कले हेतु न्यायद्वि में अन्तिम अपसर दिये गये। इसके पश्चात् दि० 2/4/13 को प्रतिवादीगण की तमकी रजिस्ट्रार एडी व रजिस्ट्री की रसीद पेश करके हेतु आदेवित किया गया। इसके पश्चात् वकील वादी को दिनांक 18/6/13, 30/9/13, 10/2/14, 17/8/15 को तमकी हेतु तमबाना पेश कले हेतु अमेक अपसर प्रदान किये गये लेकिन वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तमकी हेतु तमबाना पेश नहीं किये। लेकिन दि० 9/1/17 व 25/4/18 को प्रतिवादीगण की तमकी हेतु तमबाना पेश कले हेतु तमबाना पेश करके हेतु न्यायद्वि में अन्तिम अपसर दिये गये व वकील वादी को हदायत दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी ने तमबाना पेश नहीं किये। इसके पश्चात् दिनांक 11/01/19 को रजिस्ट्रार एडी तमबाना पेश कले हेतु वकील वादी को न्यायद्वि में एक और अन्तिम अपसर दिया गया। लेकिन वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तमकी हेतु तमबाना व रसीद पेश नहीं किये। अतः उपरोक्त प्राचीन अधिनियम धारा 09 R 5 CPC के तहत उपरोक्त अदालत वकील में वारिस किया जा रहा है परन्तु न्याय से कह दोकर बाद वकील मुकदमे के साथ सलग ही सुनाया गया।

2009
94
18/11/19

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)